कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2023/ 2889 छिन्दवाड़ा दिनांक 19/10/23

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक,
वे.को.फि.लि.
पेंच क्षेत्र परासिया

विषय :— Diversion of 54.639 ha.of Revenue Forest Land in favour of M/s. Western Coalfields Limited for Jamunia pathaar Under Ground Coal Mining project in West Chhindwara District under the Chhindwara Forest Division Madhya Pradesh State.

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8—47/2017—एफसी दिनांक 03.01.2018 एवं 8—47/2017—एफसी दिनांक 13.10.2023

——00——

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र परासिया के आरक्षित वनखंड 736,737,738,739,740 एवं राजस्व वनभूमि (छोटे—बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम जमुनिया पठार ख.नं. 8, 26/1,58, 60, 137, 202,148, 260 रकबा 54.639 हे0 (जमुनिया पठार कोयला खदान) भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया जिला छिंदवाड़ा को भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8 — 47 / 2017 — एफ सी दिनांक 03.01.2018 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 33 तक का पालन आवेदक विभाग से किया जाना है।

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 11 एवं 12 के पालन हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ—5/16/200/10—3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार वनों की इको वेल्यू श्रेणी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एवं वनों का धनत्व मध्यम घनत्व वन 0.5 से 0.7 के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हे0 8.03 लाख रू. के आधार पर किया गया था।

आवेदित क्षेत्र रकबा 54.639 हे0 राजस्व वन भूमि (छोटे बडे झाड़ का जंगल) होने से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ—5/ 16/2000 /10—3 दिनांक 02.12.2005 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वसूल हेतु राजस्व वनक्षेत्र के लिये साईट क्वालिटी, समीपस्थ वन क्षेत्र की अभिलिखित साईट क्वालिटी के आधार पर नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि का निर्धारण किया जाता है। इस हेतु साईट क्वालिटी के लिए समीपस्थ वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ. 703 ए वन का धनत्व 0.6 तक का है। वनों की इको वेल्यू श्रेणी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती सागौन वन है।

व्यपवर्तित राजस्व वनभूमि रकबा 54.639 हे0 में नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हेक्टेयर के 8.03 लाख की दर से राशि रु. 4,38,75,117.00 का आंकलन किया गया था। मध्यप्रदेश शासन वन

Dfo_West//Shoaib//cover 2023

APO
26/10

Scanned by CamScanner

विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ – 5 – 16/2000/10–3 दिनांक 12.06.2008 एवं एफ –5– 17/2011/10–3 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार भूमिगत कोयला खदान के लिए एन.पी.व्ही. संपूर्ण एरिया का पचास प्रतिशत राशि वसूल करने के आदेश है। इस हेतु निर्धारण की गई एन.पी.व्ही की राशि रू. 4,38,75,117.00 का पचास प्रतिशत राशि रू. 2,19,37,559.00 का निर्धारण किया गया था।

निर्धारण की गई एन.पी.व्ही.की राशि रू. 2,19,37,559.00 आवेदक संस्थान द्वारा ई–पोर्टल से माध्यम से वसूल कर दिनांक 21.02.2018 को कैम्पा मद में जमा कराया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के पत्र 8–47/2017–एफसी दिनांक 13.10.2023 से प्रथम चरण की स्वीकृति अवधि 5 वर्ष से अधिक होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय के पत्र कमांक 5–3/2011–एफसी(वोल–1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एनपीव्ही की पुनरीक्षित दर हेतु नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हेक्टेयर के 12,28,590.00 लाख की दर से राशि रु. 6,71,28,929.00 का पुनः निर्धारण किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ–5 – 16/2000/10–3 दिनांक 12.06.2008 एवं एफ –5– 17/2011 /10–3 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार भूमिगत कोयला खदान के लिए एन.पी.व्ही. संपूर्ण एरिया का पचास प्रतिशत राशि वसूल करने के आदेश है। इस हेतु निर्धारण की गई एन.पी.व्ही की राशि रू. 6,71,28,929.00 का पचास प्रतिशत राशि रू. 3,35,64,464.00 का निर्धारण किया गया है।

संपूर्ण एरिया का पचास प्रतिशत राशि वर्तमान दर से निर्धारण की गई एन.पी.व्ही की राशि रू. 3,35,64,464 – पूर्व में जमा की गई संपूर्ण एरिया की पचास प्रतिशत एन.पी.व्ही की राशि रु. 2,19,37,559 , अंतर की राशि रु. 1,16,26,905.00 **(3,35,64,464 - 2,19,37,559-00 = 1,16,26,905.00)** निर्धारण किया गया है।

अतः अंतर की एन.पी.व्ही की राशि रु. 1,16,26,905.00 को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराते हुये 72 घंटे बाद बैंक स्टेटमेंट , यू.टी.आर. नंबर की छायाप्रति प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2023/ 2890 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 19/10/23

प्रतिलिपि :– (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(2) वन संरक्षक छिन्दवाड़ा वन वृत्त छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2023

Scanned by CamScanner